न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 84/2020 जिला दौसा

1. रेवडमल पुत्र मोहनलाल
2. मोहनलाल पुत्र रामनाथ
3. ईश्वरलाल पुत्र नहनूराम
4. मोतीलाल पुत्र आनन्दीलाल
5. रतनलाल पुत्र मोहनलाल
6. घासीराम पुत्र हजारीलाल
7. हरिनारायण पुत्र आनन्दीलाल
8. बनवारी पुत्र हजारीलाल
9. नन्दकिशोर पुत्र हरिनारायण
10. प्रकाश पुत्र आनन्दीलाल
11. हजारीलाल पुत्र रामनाथ
12. छोटुलाल पुत्र आनन्दीलाल
13. आनन्दीलाल पुत्र रामनाथ
14. नहनुराम पुत्र रामनाथ
15. हरिराम पुत्र गंगाराम
16. मुकेश पुत्र मोहनलाल

समस्त जाति रैगर निवासी ग्राम देवली तहसील लालसोट जिला दौसा राज0।

—अपीलान्ट्स

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर दौसा।
2. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट दौसा जिला दौसा।
3. तहसीलदार लालसोट जिला दौसा।

—रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अंतर्गत भू राजस्व अधिनियम धारा 75 विरूद्ध निर्णय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट दौसा दिनांक 18.07.2017

उपस्थित—

1. श्री सतीश कुमार पारीक वकील अपीलान्ट
2. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक —07.09.2022

यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत जिला कलक्टर, दौसा के निर्णय दिनांक 18.07.2017 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम पंचायत देवली द्वारा ग्राम देवली तहसील लालसोट जिला दौसा में स्थित राजकीय चारागाह भूमि खसरा नं. 964/320 रकबा 199 बीघा 16 बीस्वा में से 3.00 बीघा भूमि को आबादी में आवासहीन व्यक्तियों को आवास हेतु सैट अपार्ट करवाने हेतु प्रस्ताव तैयार किया गया जिस पर तहसीलदार लालसोट व उपखण्ड अधिकारी लालसोट द्वारा दिनांक 05.08.2016 को निर्धारित प्रपत्र आदि तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर दौसा को भिजवाया गया। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर दौसा द्वारा दिनांक 18.07.2017 को आबादी भूमि हेतु सैट अपार्ट करने के प्रस्ताव को निरस्त करने के आदेश दिये गये।

जिला कलक्टर, दौसा के उक्त निर्णय दिनांक 18.07.2017 से व्यथित होकर अपीलान्ट रेवडमल पुत्र मोहनलाल वगै0 द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं

Scanned by CamScanner

अपीलाधीन आदेश जिला कलक्टर, दौसा दिनांक 18.07.2017 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया । अपीलांट के योग्य अधिवक्ता व राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अपीलाण्ट्स अनुसूचित जाति के गरीब लोग हैं जिनके पास अपने आवास के लिए अन्य कोई भूमि आबादी में नहीं है। जनसंख्या के अनुपात में आबादी भूमि की कमी हो जाने के कारण तथा अन्य कोई भूमि आरक्षित नहीं होने के कारण अपीलाण्ट्स ने सैट अपार्ट हेतु प्रस्तावित चारागाह भूमि के लगभग 3.00 बीघा रकबे पर मेहनत की कमाई से अपने आवास बना रखे हैं। ग्राम पंचायत देवली द्वारा प्रस्ताव देने पर तहसीलदार लालसोट व उपखण्ड अधिकारी लालसोट द्वारा दिनांक 05.08.2016 को निर्धारित प्रपत्र आदि नियमानुसार अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष भिजवाया गया था जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने 12.08.2016 को प्रस्ताव पूर्ण करने व स्पष्ट करने हेतु लिखा था। तत्पश्चात् तहसीलदार लालसोट द्वारा दिनांक 19.01.2017 एवं उपखण्ड अधिकारी लालसोट द्वारा दिनांक 11.07.2017 को पुनः अपनी रिपोर्ट पेश की फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने सभी तथ्यों को नजर अंदाज करते हुये अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध एवं विधिसम्यक नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश जिला कलक्टर दौसा दिनांक 18.07.2017 को निरस्त किया जावे।

राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि ग्राम देवली तहसील लालसोट जिला दौसा में स्थित उक्त भूमि की किस्म चारागाह है एवं पूर्व से आबादी बसी होने से पुनः आबादी हेतु आरक्षित किया जाना उचित नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश जिला कलक्टर, दौसा उचित एवं विधिसम्यक है, जिसे यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

हमने विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया। ग्राम देवली तहसील लालसोट जिला दौसा में स्थित राजकीय चारागाह भूमि खसरा नं. 964/320 रकबा 199 बीघा 16 बीस्वा में से 3.00 बीघा भूमि को आबादी में आवासहीन व्यक्तियों को आवास हेतु सैट अपार्ट करवाने हेतु प्रस्ताव तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर दौसा को भिजवाया गया। यह स्वीकृत तथ्य है कि प्रस्तावित चारागाह भूमि पर अपने आवास बना रखे हैं। इस संबंध में हमारा विनम्र मत है कि प्रस्तावित भूमि की किस्म चारागाह है एवं अतिक्रमण को नियमन हेतु आरक्षित किया जाना अप्रासंगिक है इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुसार भी इसे अनुचित माना गया है। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर दौसा द्वारा उक्त चारागाह भूमि पर अतिक्रमण मानते हुये आबादी हेतु आरक्षित/सैट अपार्ट करने के प्रस्ताव को निरस्त किये जाने के आदेश दिये गये जो कि उचित एवं विधिसम्यक है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, दौसा के निर्णय दिनांक 18.07.2017 में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं मानी जा सकती एवं अपील स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है।

अतः आदेश है कि: अपील अपीलान्ट निरस्त की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर दौसा का निर्णय दिनांक 18.07.2017 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(डॉ. गिरीश पाराशर)
अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर

Scanned by CamScanner